



## अनविासी भारतीयों के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषति डाक मतपत्र प्रणाली

### प्रलिस के लिये:

मुख्य चुनाव आयुक्त, अनविासी भारतीय, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषति डाक मतपत्र, जनप्रतनिधित्व अधनियम, 1951, चुनाव नयिम, 1961 का संचालन

### मेन्स के लिये:

NRI के लिये ETPB से संबंघति चुनौतयिँ

## चर्चा में क्यँ?

हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने अनविासी भारतीयों (NRI) के लिये डाक मतदान की सुवधि की आवश्यकता पर बल दिया । यह अनविासी भारतीयों के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषति डाक मतपत्र (ETPB) हेतु चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर प्रकाश डालता है, जसि वर्तमान में सरकार की मंजूरी का इंतज़ार है ।

- इस पहल का उद्देश्य 1.34 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीयों को प्रौद्योगिकी-संचालित पद्धतिका उपयोग करके चुनावों में भाग लेने की अनुमति देना है ।

## इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषति डाक मतपत्र प्रणाली:

- **परचिय:**
  - ETPBS एक ऐसी प्रणाली है जसि उन व्यक्तयिँ के लिये दूरस्थ मतदान की सुवधि हेतु डिज़ाइन किया गया है जो कसिी मतदान केंद्र पर व्यक्तगत रूप से अपना वोट डालने में असमर्थ हैं ।
    - ETPBS मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मतपत्र प्राप्त करने और वापस करने में सक्षम बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन तथा डाक सेवाओं के उपयोग को जोड़ता है ।
- **सेवा मतदाताओं के लिये:** इस प्रणाली के तहत पंजीकृत सेवा मतदाताओं को **डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाते हैं ।**
  - इसके बाद सेवा मतदाता ETPB (एक घोषणा पत्र और कवर के साथ) डाउनलोड कर सकता है, मतपत्र पर अपना जनादेश दर्ज कर सकता है और इसे साधारण डाक के माध्यम से नरिवाचन क्षेत्र के रटिर्नगि ऑफिसर को भेज सकता है ।
  - पोस्ट में एक प्रमाणति घोषणा पत्र शामिल होगा (जसिँ एक नयुक्त वरषिट अधिकारी की उपस्थति में मतदाता द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद प्रमाणति किया जाएगा) ।
  - सेवा मतदाताओं को ETPBS का उपयोग करने की अनुमति देने के लिये चुनाव संचालन नयिम, 1961 को वर्ष 2016 में संशोधति किया गया था ।

## NRI के लिये ETPB से संबंघति चुनाव आयोग का प्रस्ताव:

- नरिवाचन आयोग (EC) ने वर्ष 2015 में वदिशी मतदाताओं तक ETPB की सुवधि का वसितार करने के लिये **जनप्रतनिधित्व अधनियम, 1951 की धारा 60 में संशोधन** का प्रस्ताव पेश किया था ।
  - बाद में वर्ष 2020 में नरिवाचन आयोग ने कानून मंत्रालय को लखिति रूप से सूचित किया कि वह इस प्रस्ताव को लागू करने के लिये तकनीकी और प्रशासनिक रूप से तैयार है ।
- नरिवाचन आयोग ने सुझाव दिया कि NRI के लिये ETPBS का उपयोग कुछ संशोधनों के साथ किया जा सकता है, जैसे कि उन्हें अपने मतपत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने और उन्हें एक नरिदषिट समय-सीमा के भीतर डाक अथवा कूरयिर द्वारा भेजने की अनुमति देना ।
  - नरिवाचन आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि अनविासी भारतीयों (NRI) को भारत में एक प्रॉक्सी मतदाता नयुक्त करने की

अनुमति दी जा सकती है, जो उनकी पहचान और सहमति की पुष्टि करने के बाद उनकी ओर से मतदान कर सकते हैं।

- नरिवाचन आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि **NRI** को वदेशों में नरिदष्टित मतदान केंद्रों पर मतदान करने का विकल्प दिया जा सकता है, जहाँ वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अथवा पेपर बैलेट का उपयोग कर मतदान सकते हैं।
- हालाँकि यह प्रस्ताव अभी भी कानून मंत्रालय के पास लंबित है, इसका प्रमुख कारण डाक मतपत्रों की सुरक्षा और प्रामाणिकता से संबंधित चिंताएँ हैं।

## अनवासी भारतीयों के लिये ETPB से संबंधित चिंताएँ:

- **योग्यता और सत्यापन:** दूरस्थ मतदान में भाग लेने के लिये अनवासी भारतीयों की पात्रता नरिधारित करना जटिल हो सकता है।
  - चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिये अनवासी भारतीयों की पहचान, नवास की स्थिति और पात्रता को सत्यापित करने के लिये सटीक एवं विश्वसनीय तंत्र स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है।
- **समय की कमी और डाक में विलंबता:** ETPBS के लिये मतदाता को मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त होने के बाद नरिधारित समय-सीमा के अंदर डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता होती है।
  - हालाँकि कुछ देशों में डाक संबंधी विलंब या लॉजिस्टिकल संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं जो मतपत्र को रटिर्नगि ऑफिसर तक समय पर पहुँचने से रोक सकती हैं। इससे कुछ मतदाताओं का मताधिकार छिन सकता है।
- **सुरक्षा और गोपनीयता:** ETPBS में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से संवेदनशील चुनावी डेटा का प्रसारण शामिल है, जो दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से लोगों द्वारा हैकगि, छेड़छाड़ या अवरोधन का जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
  - इसके अतिरिक्त डाक मतपत्र वोट की गोपनीयता सुनिश्चित नहीं कर सकता है क्योंकि यह दूसरों द्वारा जाँच या जबरदस्ती के अधीन हो सकता है।
- **कानूनी और तकनीकी चुनौतियाँ:** ETPBS के लिये वदेशी मतदाताओं को इस प्रणाली के माध्यम से मतदान करने में सक्षम बनाने हेतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 के साथ-साथ नरिवाचनों का संचालन नियम, 1961 में संशोधन की आवश्यकता है।
  - इसके अतिरिक्त ETPBS को नरिवाचन आयोग, वदेश मंत्रालय, डाक विभाग तथा दूतावासों जैसे विभिन्न हतिधारकों के बीच मज़बूत तकनीकी बुनियादी ढाँचे और समन्वय की आवश्यकता है।

## प्रवासी भारतीय (Non-Resident Indians- NRI):

- **परिचय:**
  - **NRI** का मतलब अनवासी भारतीय से है, यह एक ऐसे भारतीय नागरिक के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो रोज़गार, शिक्षा या किसी अन्य उद्देश्य के कारण भारत से बाहर रहता है।
    - वदेश मंत्रालय के अनुसार, दसिंबर 2020 तक 208 देशों में लगभग 1.34 करोड़ NRI हैं।
  - NRI भी भारतीय चुनावों में मतदान करने के पात्र हैं यदि वे भारत में अपने संबंधित नरिवाचन क्षेत्रों में वदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं।
- **NRI के लिये मानदंड:**
  - एक व्यक्ति को NRI माना जाता है यदि:
- वह वत्तितीय वर्ष के दौरान 182 या उससे अधिक दिनों तक भारत में नहीं रहता है या;
- यदि वह उस वर्ष से पहले के 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों से कम और उस वर्ष में 60 दिनों से कम समय हेतु भारत में रहा है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न.** अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक नरिणायक भूमिका नभानी है। उदाहरणों सहित टपिपणी कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2020)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)